

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

**यूआईडी संख्या: UPFS/2023/87591/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/21926/JD**

**दिनांक: 27-06-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SS TECHNOPARK PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO-01, SECTOR-142, NOIDA** तहसील - **DADRI** प्लाट एरिया **58535.750 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **285371.125** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **7** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
F 1	4	2	28.25 mt.
F 2	2	2	12.20 mt.
F 3	2	2	12.20 mt.
F 4	2	2	12.20 mt.
F 5	4	2	22.90 mt.
TOWER A	38	2	176.45 mt.
TOWER B	16	2	78.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SS TECHNOPARK PVT LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्रि निवारण एवं अग्रि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तसंबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Business** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SS TECHNOPARK PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार के आधार पर यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन विभाग के मानकों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है, अन्य विभाग यथा सत्ता प्राधिकारी अपने मानकों के अन्तर्गत निर्गत करें। the provision of half value of U.G tank will be mandatory to provide at the terrace level of tower-A

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**Note :** अग्निशमन अधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार के आधार पर यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन विभाग के मानकों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है, अन्य विभाग यथा सत्ता प्राधिकारी अपने मानकों के अन्तर्गत निर्गत करें। the provision of half value of U.G tank will be mandatory to provide at the terrace level of tower-A

हस्ताक्षर (निर्गत अधिकारी)



Digitally Signed By  
(AMAN SHARMA)

[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]

05-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-07-2023

स्थान : LUCKNOW